गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा NHRC सेमिनार में दिए गए भाषण के मुख्य अंश

- जिन विषयों को लेकर **NHRC/**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया है उसका संबंध एक प्रगतिशील भारत निर्माण से है और पूरे विश्व और मानव जगत के कल्याण से भी है।

- सुशासन, विकास और मानवाधिकार के बीच एक गहरा संबंध है और इन तीनों विषयों के केन्द्र में अगर कोई है तो वह आम इंसान है। सुशासन और विकास के बारे में तो आज एक **'सामान्य समझ'** लोगों में दिखाई देती है मगर मानवाधिकार के सवाल पर कई बार नजरिए बदल जाते हैं।

- इसकी सबसे बड़ी वजह पूरब और पश्चिम के देशों की सोच और **Approach** का अन्तर है। अब हम **Human Rights** को यदि पश्चिमी नजरिए से देखे तो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है तो वह है 1948 में **United Nations General Assembly (UNGA)** द्वारा पारित **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)** जो **Second World War** के संघर्ष के बाद अस्तित्व में आया।

- यह सही है कि आधुनिक **Human Rights** का आधार वर्ष 1215 के **Magna Carta** और **American Revolution** (1776) और **French Revolution** (1789) के विचारों से भी प्रेरित और प्रभावित है। मगर यदि हम बारीकी से देखे तो **Western Human Rights** जिसे हम **Human Rights** का **Modern Thought** भी कह सकते हैं वह संघर्ष और खून खराबे के लम्बे इतिहास से निकला है।

- जबकि भारत की संस्कृति अधिकार को लेकर संघर्ष करने के बजाए एक ऐसी कल्याणकारी धारणा में विश्वास करती है जहां सबको अपने अपने कर्तव्य की चिंता है। कर्तव्य को भारतीय संस्कृति में धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय इतिहास में अधिकतर संघर्ष अधिकार को लेकर नहीं कर्तव्य/धर्म को लेकर हुए है।

- भारतीय संस्कृति में अधिकारों को **Isolation** में नहीं देखा गया है बल्कि उसका उद्‌गम भी कर्तव्य में ही निहित है। इसलिए ही हमारे यहां माना गया है कि यदि सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें तो सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

- भारत हजारों साल पहले ही केवल **Human** और **Animals** के लिए ही नहीं बल्कि जड़ चेतन धरती आकाश सबके कल्याण और शक्ति के लिए एक **Oral Universal Declaration** दे चुका है। उसे हम शान्ति पाठ मंत्र के रूप में आज भी जपते हैं।

- ❖ इसलिए हमें यह अन्तर समझना होगा कि पश्चिम **Human Rights** संघर्ष से निकले हैं जबकि भारत में **Human Rights** शान्ति और कल्याण की भावना में ही निहित है।

- ❖ भारत के पुरातन ग्रंथों में मानवाधिकार और मानव कल्याण की ही नहीं बल्कि पूरे सृष्टि के कल्याण की चिंता की गई है। जहां तक सुशासन का सवाल है तो महाभारत का **'शांति पर्व'** सुशासन का वर्णन करता है। उसमें राजा के दायित्व और कर्तव्य के साथ–साथ सुशासन के भी नियमों का उल्लेख किया गया है।

- ❖ जिसे भारतीय परम्परा में **'राजधर्म'** कहा गया है वह एक तरह से सुशासन और मानव कल्याण से ही जुड़ा हुआ है। यदि हम आधुनिक युग की बात करें तो हमारा संविधान वह दस्तावेज है जिसमें हर नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ मानवीय अधिकारों का संरक्षण किया गया है।

- ❖ आधुनिक भारत में संविधान ही वह **'उद्गम स्थल'** है जहां से विकास, सुशासन और मानवाधिकार की त्रिवेणी निकलती है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद इस **'त्रिवेणी'** की पवित्रता पर जितना जोर दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। इसकी वजह से आजाद भारत में कई बार सुशासन, विकास और मानवाधिकार की धाराओं का बहाव बाधित और प्रदूषित हुआ है।

❖ अगर मैं सुशासन की बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा **Role** होता है **Transparency, Accountability, Responsibility, Responsiveness** और **People's Participation** का। यानि सुशासन के लिए जरूरी है जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, तत्परता और जन–भागीदारी।

❖ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार केन्द्र में चल रही है उसने सुशासन को न केवल खुले दिल से अपनाया है बल्कि यह सरकार सुशासन ही ओढ़ती, पहनती और बिछाती है।

❖ सुशासन का अर्थ सही निर्णय लेने से कहीं अधिक ऐसे **Systems** और **Processes** तैयार करना है जिनके माध्यम से सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पिछली केन्द्र सरकार ने **Coal Block Allocations** की जो **Policy** बनाई उसमें **Transparency** न होने के कारण बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई।

❖ जब नई सरकार ने **Coal Blocks Allocation** की **Transparent Policy** बना कर **E-Auction** का प्रावधान किया तो जिन खदानों के आबंटन में 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा था उन्हीं से दो लाख करोड़ की राशि भारत सरकार के खजाने में आने का रास्ता साफ हो गया है।

- तात्पर्य यह है कि जब **Systems** में पारदर्शिता आती है तो सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और इससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है।

- भ्रष्टाचार के खिलाफ **System** को मजबूत बनाना **Good Governance** का अहम हिस्सा है। केन्द्र में जब हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहला निर्णय ही कालेधन के खिलाफ **SIT** के गठन का लिया।

- नोटबंदी जैसा साहसिक फैसला भी इस सरकार ने इसलिए लिया ताकि **System** में मौजूद **illegal money, Black Money** की **Identification** हो सके और उसकी **Trail** मिल सके। इसी तरह 28 सालों से ठण्डे बस्ते में पड़े बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में संशोधन करके उसे लागू किया गया है ताकि पारदर्शिता के साथ–साथ सिस्टम को भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत बनाया जा सके।

- कई ऐसे प्रशासनिक निर्णय भी इस सरकार ने लिए है जो **Good Governance** की दिशा में लिए गए सकारात्मक कदम हैं। उदाहरण के लिए केन्द्र सरकार ने **C** और **D Class** की नियुक्तियों में **Interview** को समाप्त करके न केवल **System** को **Streamline** किया है बल्कि उसमें होने वाली धांधली की संभावनाओं को समाप्त किया है।

- इसी तरह से केन्द्र सरकार ने अब तक लगभग 1200 पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त करके लोगों को बड़ी राहत दी है।

- इस साल जुलाई से लागू किया गया **GST** भी सुशासन का एक जीता जागता नमूना है। **GST** लागू होने से देश में कई पुराने **Taxes** को न केवल खत्म किया गया है बल्कि एक **Uniform** और **Efficient Tax System** दिया गया है। इससे देश में **Goods** और **Services** के आदान–प्रदान में जो तेजी आएगी उसका लाभ इस देश के **Economic System** को मिलेगा।

- सुशासन को **Next Level** पर ले जाने के लिए केन्द्र सरकार ने जो **JAM Strategy** बनाई है उसका जो क्रांतिकारी प्रभाव इस देश पर पड़ने वाला है उसका सही अनुमान अभी तक लोग लगा नहीं पा रहे हैं। कल्पना कीजिए जिस देश में करीब 1.20 अरब लोगों का बायोमेट्रिक डॉटा **Capture** करके **'आधार'** तैयार हो करीब 50 करोड़ स्मार्ट फोन्स हों। तीस करोड़ जनधन बैंक अकाउंट हो वहां जब **DBT** के माध्यम से सीधे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने लगेगा तो कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा।

- मैं मानता हूं कि इक्कीसवीं शताब्दी में भारत विश्व की **'Digital Democracy'** का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बन कर उभरेगा।

- सुशासन की चाबी से ही भारत की विकास की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। सुशासन के माध्यम से हम योजनाओं का लाभ उन लोगों तक ले जा रहे हैं जिनके नाम पर योजनाएं तो बनती थी मगर उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचता ही नहीं था। हमारी सरकार का जो **'सबका साथ, सबका विकास'** का **Commitment** है वह जन भागीदारी के रास्तों से पूरा किया जा रहा है।

- जब सुशासन, विकास के साथ जनभागीदारी का नाम जुड़ जाता है तो मानवाधिकारों की भी चिंता उससे जुड़ जाती है। केन्द्र सरकार ने अपनी विकास और सुशासन की योजनाओं में सर्वाधिक महत्व दिया है लोगों की **Dignity** को और उनके सम्मान को।

- हमारी सरकार का लक्ष्य है **'Development with Dignity'** और मैं मानता हूं कि हमारे इस लक्ष्य में ही सारे मानवाधिकार सुरक्षित और संरक्षित है।

- मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की ओर। इस देश में गरीब परिवारों की माताओं–बहनों को खाना बनाते समय जो कष्ट होता था उसको मिटाने के लिए देश के पांच करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना बनाई। उन गरीब माताओं–बहनों को भी विकास की योजना से जोड़ा भर नहीं गया बल्कि उनको एक **Dignified Life** भी इस सरकार ने प्रदान किया।

- जब 2014 में केन्द्र में नई सरकार आई थी तो देश के 18000 से अधिक गांवों में बिजली की रोशनी नही थी। आज करीब 15000 गांवों में बिजली का उजाला पहुंचा कर केन्द्र सरकार ने उन गांव वासियों की जिंदगी में नई चमक पैदा की है। मई 2018 तक देश का एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां बिजली का बल्ब न जलता हो। अगर मैं कहूं कि हमारी सरकार हर गांव को बिजली का अधिकार दे रही है तो अतिश्योक्ति नही है।

- आज देश आजादी के सत्तर साल पूरे कर चुका है। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 2022 आते–आते देश के हर परिवार के सिर पर एक छत होगी। मनुष्य की रोटी, कपड़ा और मकान की तीन बुनियादी जरूरतें मानी गई है और इन्हें मानवाधिकारों की श्रेणी में माना जाता है क्योंकि इन तीनों से मनुष्य को एक **Dignified Life** प्राप्त होती है।

- भारत के संसाधनों पर सबसे पहला हक भारतीयों का है। इसलिए हर भारतीय के इस मानवाधिकार का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। कई बार मानवाधिकारेां के नाम पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है जिससे भारतीय और भारतीयता दोनों ही खतरे में पड़ने का अंदेशा पैदा हो जाता है। दूसरों के मानवाधिकारों की चिंता करने से पहले हमें भारतीय नागरिकों के मनवाधिकारों और हितों की चिंता करनी है और उनका संरक्षण करना है।

❖ आजकल मानवाधिकारों की चर्चा भारत में फिर से चल पड़ी है। कुछ लोग भारत में अवैध तरीके से घुस आए रोहिंग्या समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों की बात कर रहे है। गृह मंत्रालय ने **Affidavit** देकर अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है कि इन **Illegal Immigrants** को **Deport** किया जाएगा। म्यानमार से भारत में घुस आए ये रोहिंग्या **Refugees** नहीं है। **Refugee Status** प्राप्त करने लिए एक प्रक्रिया होती है और इनमें से कोई भी उस **Procedure** के तहत नहीं आया है।

❖ रोहिंग्या लोगों को भारत से **Deport** करके भारत किसी **International Law** का भी उल्लंघन नहीं करेगा क्योंकि वह 1951 के **UN Refugee Convention** का **Signatory** भी नही है।

❖ लोग **International Law** के **'Non Refoulement' principle** का जिक्र करके रोहिंग्या के **Deportation** को गलत बताने की कोशिश कर रहे है। मगर उनको भी यह मैं बताना चाहूंगा कि **'Non-Refoulement'** का सिद्धान्त उन पर लागू होता है जो **'शरणागत'** होते हैं। किसी भी रोहिंग्या को भारत में न तो **Asylum** प्राप्त है और न ही किसी ने इसकी कोई **Applications** दी है। इसलिए **Human Rights** का हवाला देकर **Illegal Immigrants** को **Refugee** बताने की गलती नही की जानी चाहिए।

- कोई भी **Sovereign** देश इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह **Illegal Immigrants** के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। रोहिंग्या समुदाय के **Illegal Immigration** का एक पक्ष **National Security** से भी जुड़ा हुआ है जिसकी अनदेखी हमारी सरकार नही कर सकती।

- इन सारी बातों के बावजूद भारत सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों को बांग्लादेश में **Humanitarian Aid** प्रदान की है। बांग्लादेश भी रोहिंग्या लोगों के **Illegal Immigration** से प्रभावित है।

- दो दिन पहले म्यानमार की काऊंसिलर सुश्री सूची ने रोहिंग्या लोगों को वापस लेने के बारे में जो बयान दिया है वह उम्मीद जगाता है।